प्रेस विज्ञप्ति

शैक्षिक सत्र 2017–18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषण उनके खातो में 28 मार्च, 2018 को पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से की गयी थी। कतिपय छात्रों का खाता बंद होने , खाता में धनराशि लिमिट फिक्स होने, अथवा खाते का संचालन बैंक के नियमानुसार नही किये जाने के कारण मुख्यालय द्वारा प्रेषित धनराशि छात्रों के खातो में अन्तरित नही हुई और धनराशि विभाग को वापस हो गयी है। इस सम्बन्ध में निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–208 दिनांक 20 अप्रैल 2018 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में छात्रवृत्ति योजनान्तार्गत फेल्ड ट्रांजेक्शन की धनराशि के पुनर्भुगतान की कार्यवाही दिनांक 30 अप्रैल, 2018 के पूर्व की जानी है। शासन द्वारा फेल्ड ट्रांजेक्शन की धनराशि को पुनःप्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र/छात्राओं की वर्ष 2017–18 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के कारण उनके खाता मे अन्तरित नही हो सकी है, ऐसे सभी छात्र/छात्राऐं अपना खाता शीघ्र ही बैंक से सम्पर्क स्थापित कर अपडेट कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा पुनः ट्रांजेक्शन फेल्ड होने की स्थिति में दोबारा धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नही है। छात्र अपने खाते में धनराशि किस कारण से ट्रांजेक्शन फेल हुआ कि जानकारी http://pfms.nic.in पर अपने बैंक का नाम एवं खाता संख्या के माध्यम से आनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते है।

(राजेश कुमार यादव)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
वाराणसी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी वाराणसी।

पत्रांक /स0क0/दशमो0छात्रवृत्ति/ट्रांजेक्शन फेल्ड /2018–19 दिनांक– 2?/4/18

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
2. मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी।
3. उपनिदेशक, समाज कल्याण वाराणसी मण्डल वाराणसी।
4. उप कुलसचिव (विकास) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी।
5. कुल सचिव, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी बी0एच0यू0 वाराणसी।
6. कुलसचिव, महात्मागाँधी काशीविद्यापीठ वाराणसी।
7. उप कुलसचिव (समाज कल्याण) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी।
8. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (पूर्वी क्षेत्र) वाराणसी।
9. संयुक्त निदेशक/प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 चौकाघाट वाराणसी।
10. प्राचार्य, उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय वाराणसी।
11. प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक , वाराणसी।
12. क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी वाराणसी।
13. जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट करे।
14. जिला सूचना अधिकारी वाराणसी को 08 प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया जनपद वाराणसी से प्रकाशित होनेवाले सभी दैनिक समाचार पत्रों में उक्त प्रेस विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
वाराणसी।

दिनांक–26.04.2018

सेवा में,

संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

महोदय,

कृपया जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी के उक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

पत्रांक–वि0प्रको0/ /2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव कुलपति जी।
2. प्रभारी सम्बद्धता को इस निर्देश के साथ की अपने स्तर से भी समस्त महाविद्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. श्री विनोद कुमार, प्रभारी कम्प्यूटर को इस आशय से की उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

कुलसचिव